

नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड बहु उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) जयपुर की चौथी अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त श्री ए बिपिन मेनन, क्षेत्रीय विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ), नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ), कार्यालय विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ), नोएडा की दूसरी मंजिल पर और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 18.07.2024 को सुबह 11:30 बजे हाइब्रिड मोड में कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित किया गया।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे:-

- i. श्री सुरेंद्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ)।
- ii. श्री पी.एन. शर्मा, संयुक्त निदेशक, उद्योग, राजस्थान, जयपुर।
- iii. श्री अनिल लखेरा, उप प्रबंधक, रीको, जयपुर।
- iv. श्री अशोक कुमार, सहायक आयुक्त, केंद्रीय माल एवं सेवा कार्यालय सेवा कर विभाग, जयपुर
- v. श्री आशमा चावला, सहायक डीजीएफटी, जयपुर (राजस्थान)।
- vi. श्री विमल मिश्रा, महाप्रबंधक, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड (विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) विकासक के प्रतिनिधि)।

इसके अलावा, बैठक के दौरान (i) श्री बुद्धि प्रकाश, विशिष्ट अधिकारी, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ), जयपुर; (ii) श्री नितिन गुप्ता, उप विकास आयुक्त; (iii) श्री पंकज शर्मा, सहायक विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) और (iv) श्री सुनील गुलयाणी, स्टेनोग्राफर ग्रेड II, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। यह सूचित किया गया कि गणपूर्ति उपलब्ध था और बैठक आगे बढ़ सकती है।

प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। एक संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची में शामिल मदों को एक-एक करके विचार-विमर्श के लिए लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के साथ-साथ आवेदकों/विकासक/इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद, निम्नलिखित निर्णय लिए गए:

1. दिनांक 23.01.2024 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन:-

दिनांक 21.06.2024 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के संबंध में अनुमोदन समिति के किसी भी सदस्य से कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ। अतः दिनांक 21.06.2024 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

मद संख्या 2: वर्तमान ब्लॉक के लिए क्षेत्रफल में वृद्धि तथा क्षमता एवं अनुमान में संशोधन का प्रस्ताव:

2.1. मेसर्स मैक्सोप इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

2.1.1 समिति को बताया गया कि मैक्सोप इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (i) उच्च दबाव कास्टिंग घटक; (ii) मिश्र धातु, तथा (iii) अभियांत्रिकी एवं डिजाइन सेवाओं के निर्माण में लगी हुई है। समिति ने यह भी नोट किया कि वर्तमान में यह इकाई महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड बहु उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) के प्लॉट नंबर पीए-011-007, प्लॉट नंबर पीए-011-008ए तथा प्लॉट नंबर पीए-010-013 पर चल रही है। उन्होंने प्लॉट नंबर पीए-011-002-ए को जोड़ने तथा एल्युमीनियम मिश्र धातु - सिल्लियां/मेल्टन के निर्माण को जोड़ने के लिए आवेदन किया है। वर्तमान ब्लॉक के लिए प्रस्तावित संशोधित अनुमान इस प्रकार हैं:-

विवरण (5 वर्षों के लिए)	फॉर्म F1 में प्रस्तावित अनुमान	संशोधित नया अनुमान
निर्यात का एफओबी मूल्य	149627	213020
सेवा निर्यात का एफओबी मूल्य - अभियांत्रिकी और डिजाइन सेवाएं	2500	2500
विदेशी मुद्रा व्यय	55787	107499
एनएफई	96340	108021
आयातित पूंजीगत सामान	1435	1455
स्वदेशी पूंजीगत सामान	160	1641
आयातित कच्चा माल/उपभोग्य वस्तुएं/घटक	53665	105337
स्वदेशी कच्चा माल/उपभोग्य वस्तुएं/घटक	6440	12641

2.1.2 श्री राजेश कुमार झा, वरिष्ठ प्रबंधक, बैठक में उपस्थित थे।

2.1.3 उचित विचार-विमर्श के बाद, समिति ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

मद संख्या 3: अनुमोदन पत्र का नवीनीकरण और अतिरिक्त मदों की विस्तृत श्रृंखला:

3.1 मेसर्स मैक्सोप इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

3.1.1 समिति को सूचित किया गया कि मैक्सोप इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड में एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) इकाई निम्नलिखित वस्तुओं और सेवाओं के विनिर्माण और निर्यात में लगी हुई है:

तालिका-1

क्रम सं.	एचएसएन कोड	माल का विवरण	यूओएम मात्रा	मात्रा
1.	8708-	उच्च दबाव ड्राई कास्टिंग घटक	टुकड़े	13200000

(हस्ताक्षर)

क्रम सं.	एचएसएन कोड	माल का विवरण	यूओएम मात्रा	मात्रा
2.	7616-	मिश्र धातु का निर्माण	किग्रा	13200000
3.	998399-86725	अभियांत्रिकी और डिजाइन सेवाएँ	भारतीय रुपया	100000000

3.1.2 इकाई ने स्वीकृति पत्र (LOA) के नवीकरण के लिए आवेदन किया था और स्वीकृति पत्र (LOA) में जोड़ने के लिए निम्नलिखित उत्पादों के साथ फॉर्म एफ1 प्रस्तुत किया था

तालिका-2

क्रम सं.	एचएसएन कोड	माल का विवरण	यूओएम मात्रा	मात्रा
1.	87089900	उच्च दबाव ड्राई कास्टिंग घटक	टुकड़े	13200000
2.	85030029	मिश्र धातु का निर्माण	किग्रा	13200000
3.	85099000	अभियांत्रिकी और डिजाइन सेवाएँ	भारतीय रुपया	100000000

3.1.3 समिति को यह भी बताया गया कि इकाई का प्रस्ताव 17.05.2024 को आयोजित अनुमोदन समितिबैठक के समक्ष रखा गया था। विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) ऑनलाइन आंकड़े में नकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा (NFE) के कारण प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया था।

3.1.4 जवाब में, इकाई ने अब निम्नलिखित कारण/स्पष्टीकरण प्रदान किए हैं:-

- एनएसडीएल पोर्टल में घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) बिक्री में दिखाए गए निर्यात मान आंकड़े (अग्रिम प्राधिकरण के खिलाफ बिक्री);
- एनएसडीएल में, वर्ष के दौरान सभी आयात आंकड़े दिखाए जाते हैं जबकि निवल विदेशी मुद्रा (NFE) गणना में, समापन स्टॉक को घटाया जाना चाहिए।
- एसईआरएफ मिसिलबंदी के लिए एनएसडीएल पोर्टल पर विकल्प उपलब्ध नहीं था।

3.1.5 श्री राजेश कुमार झा, वरिष्ठ प्रबंधक, बैठक में शामिल हुए। उन्होंने ऊपर दिए गए कारणों पर आगे विस्तार से बताया और संकेत दिया कि अपेक्षित दस्तावेज उपलब्ध कराए गए थे।

4. उत्पादों की सूची में उनके एचएस कोड के साथ जोड़ने का प्रस्ताव

4.1 मेसर्स ग्रेविटा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

4.1.1 मेसर्स ग्रेविटा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने निर्धारित अनुसार 242 उत्पादों की व्यापक सरबंदी के लिए दिनांक 02.02.20024 और 13.05.2024 के पत्र के माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

एम.एस.एस.

4.1.2 इकाई के प्रतिनिधियों ने बताया कि दिनांक 13.05.2024 के पत्र के अनुसार इकाई ने प्रतिबंधित एचएस कोड को हटाने सहित वस्तुओं की संशोधित सूची प्रस्तुत की है। उन्होंने यह भी बताया कि अधिकांश उत्पाद उपभोग्य वस्तुएं या उनके पूंजीगत माल के हिस्से थे।

4.1.3 समिति ने इच्छा व्यक्त की कि विनिर्माण और व्यापार के लिए अलग-अलग सूची प्रदान की जा सकती है और विनिर्माण की सूची में शामिल उत्पादों का उल्लेख व्यापारिक वस्तुओं की सूची में नहीं किया जाना चाहिए।

4.1.4 समिति ने प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया और सर्वसम्मति से प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह विनिर्माण और व्यापार के प्रस्तावित उत्पादों के लिए अलग-अलग सूची के साथ अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अधीन है।

5. कार्य निष्पादन की निगरानी हेतु प्रस्ताव

5.1 मैसर्स मार्सन्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड

5.1.1 समिति को सूचित किया गया कि मैसर्स मार्सन्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) इकाई है। रिकॉर्ड के अनुसार, उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि 02.07.2015 है तथा प्रथम पांच वर्ष की ब्लॉक अवधि 01.07.2020 तक वैध थी। हालांकि, स्वीकृति पत्र (LOA) की वैधता को समय-समय पर 31.03.2024 तक बढ़ाया गया था।

5.1.2 स्वीकृति पत्र (LOA) के नवीनीकरण के लिए इकाई के आवेदन प्राप्त होने पर, वर्तमान ब्लॉक अवधि 2020-21 के दौरान इकाई के कार्य निष्पादन का सत्यापन किया गया। यह पाया गया कि पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य में मूल्यहास के कारण, इकाई का निवल विदेशी मुद्रा (NFE) (-) 1.80 लाख रुपये से नकारात्मक पाया गया। इसलिए प्रस्ताव अनुमोदन समिति के समक्ष रखा गया।

5.1.3 इकाई के प्रबंध निदेशक श्री बिमल जैन ऑनलाइन बैठक में शामिल हुए और व्यक्तिगत सुनवाई की गई। उन्होंने कहा कि वे ट्रांसफार्मर निर्यात कर रहे थे। हालांकि, महामारी और ब्रिटेन में मंदी जैसी परिस्थितियों के कारण कोई निर्यात आदेश नहीं मिल रहा था। हालांकि, अब उन्हें अगले तीन-चार महीनों के भीतर निर्यात आदेश मिलने की उम्मीद है और वे सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा (NFE) हासिल करेंगे। उन्होंने स्वीकृति पत्र (LOA) की वैधता को उचित समयावधि के लिए बढ़ाने का भी अनुरोध किया।

5.1.4 समिति ने प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया और पाया कि वर्तमान पांच साल की ब्लॉक अवधि के पहले चार वर्षों में इकाई का निवल विदेशी मुद्रा (NFE) नकारात्मक था। श्री जैन की व्यक्तिगत सुनवाई के मद्देनजर, समिति ने विकास आयुक्त कार्यालय को नकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा (NFE) के मद्देनजर आगे की कार्रवाई करने का अधिकार दिया और इकाई को निर्यात आदेश प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

6. स्वीकृति पत्र (LOA) की वैधता का विस्तार

22/4/24

6.1 हिशिमो फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड 03.12.2025 तक

6.1.1 समिति को सूचित किया गया कि मेसर्स हिशिमो फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) इकाई है। कैप्सूल, तेल, पाउडर और सिरप के रूप में हर्बल दवाओं के निर्माण और निर्यात के लिए स्वीकृति पत्र (LOA) संख्या 10/24/2020/विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)/9447 दिनांक 04.12.2020 है। स्वीकृति पत्र (LOA) की प्रारंभिक वैधता 03.12.2021 तक थी। इसके बाद, इकाई ने 03.10.2022 तक विस्तार के लिए कोई आवेदन नहीं किया था। विकास आयुक्त द्वारा 14.10.2022 को निदेशक श्री मोहित भटनागर को एक व्यक्तिगत सुनवाई दी गई, जिसमें विस्तार मांगने में देरी के लिए निम्नलिखित कारण बताए गए:-

- i. महामारी के कारण लॉकडाउन के कारण उनके परिचालन में 8-9 महीने की देरी हुई।
- ii. रूस-यूक्रेन संघर्ष ने उनके घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) व्यवसाय को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है क्योंकि रोमानिया को केवल एक खेप भेजी गई थी, जो भी अटक गई।
- iii. वास्तुकार को अभी भी अंतिम रूप दिया जा रहा था और इकाई इंदौर या संयुक्त अरब अमीरात से लोगों को लाने पर विचार करेगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मानदंडों के अनुसार सभी अनुपालनों के लिए आवश्यक भवन की विशिष्ट प्रकृति के कारण इसमें देरी हुई है।

इसके अलावा, उन्हें कैप्सूल, तेल, पाउडर और सिरप बनाने वाली चार अलग-अलग इकाइयों की आवश्यकता है। हालांकि, विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने पाया कि इकाई को उनके लिए आवश्यक विशिष्ट अनुमोदनों के बारे में स्पष्टता नहीं थी और यहां तक कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा उन्हें अनुमोदन दिए जाने का भी संकेत दिया (जो कि ऐसा प्रतीत नहीं होता है क्योंकि डब्ल्यूएचओ अनुमोदन जारी करने वाली नियामक संस्था नहीं है)। इकाई को निर्माण गतिविधियों के लिए समयसीमा, एक तकनीकी प्रवाह चार्ट, गतिविधियों को शुरू करने के लिए व्यवसाय योजना और आवश्यक नियामक अनुमोदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।

6.1.2 इकाई ने 14.03.2024 को भेजे ईमेल के माध्यम से बताया कि महामारी के कारण परियोजना में देरी हुई और एक साल तक उन्हें सही ठेकेदार - डिजाइनर आदि नहीं मिल पाए। इकाई ने आगे बताया कि पिछले चार महीनों में उन्होंने वास्तुकार को अंतिम रूप दे दिया है, जिसे अग्रिम भुगतान किया गया था, साथ ही नक्शे और डिजाइन को अंतिम रूप दिया गया है। इकाई ने स्वीकृति पत्र (LOA) के नवीनीकरण का अनुरोध किया है।

6.1.3 समिति को यह भी बताया गया कि इकाई के प्रस्ताव को विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) के लिए अनुमोदन बोर्ड की आगामी बैठक में रखने के लिए वाणिज्य विभाग को भेज दिया गया है।

6.1.4 इकाई के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया और अपनी परियोजना की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी। यह उल्लेख किया गया कि उनके पास जॉर्डन के एक खरीदार से निर्यात आदेश था, जो मध्य पूर्व बाजार के लिए वितरक भी होगा।

24/5/24

6.1.5 समिति ने प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया और दिए गए कारणों के मद्देनजर स्वीकृति पत्र (LOA) की वैधता को 03.12.2023 तक बढ़ाने पर कोई आपत्ति नहीं थी। इसके अलावा, इकाई को तकनीकी प्रवाह चार्ट, निर्माण के लिए समयसीमा और जॉर्डन के खरीदार से निर्यात आदेश प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। समिति ने आगे उल्लेख किया कि इकाई के प्रस्ताव को स्वीकृति पत्र (LOA) के विस्तार के लिए अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार के लिए डीओसी को भेजा गया था। अनुमोदन समिति द्वारा इकाई को सैद्धांतिक रूप से विस्तार ऊपर मांगे गए दस्तावेजों के प्रावधान पर निर्भर है।

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।

(गया प्रसाद)

उप विकास आयुक्त

(ए बिपिन मेनन)

विकास आयुक्त